NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 25-09-2025

विषय सूची

» लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन
» व्यक्तित्व अधिकार
» वैश्विक दक्षिण को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए: विदेश मंत्री
» क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास पर CSIR योजना (CBHRD)
» कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एक्स कॉर्प की सेंसरशिप याचिका खारिज

संक्षिप्त समाचार

» सुपर टाइफून रागासा
» FIPIC
» टाइलेनॉल से जुड़े ऑटिज़्म मिथक
» चुनाव आयोग द्वारा मतदाता नामों में सुधार के लिए ई-साइन सुविधा प्रारंभ
» के वीज़ा (K Visa)
» कैबिनेट द्वारा भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पैकेज को स्वीकृति
» एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस
» वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ
» नाइटमेयर बैक्टीरिया
» कलाईमामणि पुरस्कार

लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन

संदर्भ

- लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए हिंसक युवा प्रदर्शनों में चार लोगों की मृत्यु हो गई और 30 से अधिक घायल हुए।

पृष्ठभूमि: केंद्र शासित प्रदेश से असंतोष तक

- **अगस्त 2019:** लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें विधानसभा नहीं है, जबकि जम्मू और कश्मीर को विधायिका प्राप्त है।
  - प्रारंभ में कई लद्दाखवासियों ने इस कदम का स्वागत किया, बेहतर शासन और विकास की संभावना की गई।
  - हालांकि, विधायी शक्तियों की अनुपस्थिति और जनसांख्यिकीय परिवर्तन की आशंका ने जल्द ही मोहभंग उत्पन्न कर दिया।
- लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) प्रमुख आवाज़ें बनकर उभरे, जो लेह और कारगिल में बौद्ध और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रदर्शनों के प्रमुख कारण

- **विधायी शक्तियों की कमी**: लद्दाखवासियों का जम्मू-कश्मीर विधानसभा और विधान परिषद में अपना प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है।
  - **लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें (LAHDCs)** की शक्तियाँ सीमित हैं, जो मुख्यतः विकास निधियों के व्यय तक सीमित हैं।
- **जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक क्षरण का भय**: स्थानीय लोगों को चिंता है कि बाहरी निवेश से लद्दाख की संवेदनशील पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक पहचान परिवर्तित हो सकती है।
  - **बड़े पैमाने पर सौर और औद्योगिक परियोजनाएं** बिना स्थानीय सहमति के योजनाबद्ध हैं, जिससे भूमि अधिकार और विस्थापन को लेकर चिंता है।
- **रोजगार और भूमि अधिकार**: स्थानीय रोजगारों और भूमि स्वामित्व की रक्षा के लिए लद्दाख निवासी प्रमाणपत्र की मांग बढ़ रही है — जैसा कि पहले अनुच्छेद 35A के अंतर्गत सुरक्षा दी जाती थी।

मुख्य मांगें

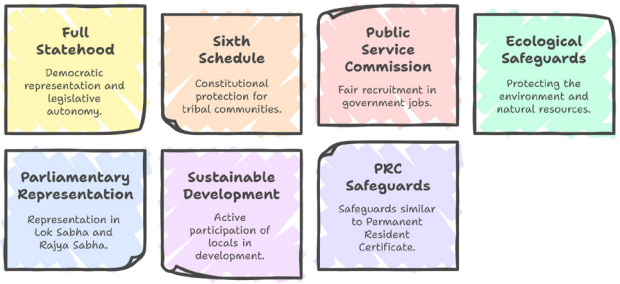

सरकारी प्रतिक्रिया और उपाय

- **संवाद और उच्चाधिकार प्राप्त समितियाँ**: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के प्रदर्शन नेताओं से बातचीत के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) गठित की। समिति का कार्यक्षेत्र शामिल है:
  - लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की खोज;
  - लेह और कारगिल की LAHDCs को सशक्त बनाना;
  - भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा सुनिश्चित करना;
  - समावेशी विकास और त्वरित भर्ती को बढ़ावा देना;
- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)** ने अपनी 119वीं बैठक में सिफारिश की कि लद्दाख को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाया जाए।
  - लद्दाख की 97% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है और इसकी कृषि और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा आवश्यक है।
- **सरकारी रोजगारों में आरक्षण**
  - लद्दाख के निवासियों के लिए 85% आरक्षण;
  - इसमें से 80% अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित;
  - अतिरिक्त कोटा:

- LAC और LoC के पास रहने वालों के लिए 4%;
- अनुसूचित जातियों के लिए 1%;
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10%;

➢ कुल आरक्षण 95% तक पहुँचता है, जो भारत में सबसे अधिक है।

- **नियामक संशोधन**
  - ➢ लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियम, 2025;
  - ➢ लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियम, 2025;
  - ➢ लद्दाख आधिकारिक भाषाएँ विनियम, 2025;
  - ➢ लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (संशोधन) विनियम, 2025;
- **निवास मानदंड**
  - ➢ व्यक्ति को 31 अक्टूबर 2019 (जिस दिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना) से लगातार 15 वर्षों तक लद्दाख में निवास का प्रमाण देना होगा।
  - ➢ केंद्र सरकार के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी और लद्दाख में तैनात PSU स्टाफ के बच्चों को विशेष शर्तों के अंतर्गत पात्र माना जाएगा।
- **महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व**
  - ➢ लद्दाख की स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (LAHDCs) में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो रोटेशन के आधार पर लागू होंगी।

लद्दाख का अवस्थिति

- यह एक उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान है, जो हिमालय की वर्षा छाया में स्थित है।
- यह तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है: ज़ांस्कर श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला और काराकोरम श्रृंखला।
- **प्रमुख दर्रे**: खारदुंग ला और चांग ला
- **प्रमुख नदियाँ**: सिंधु, नुब्रा, श्योक और ज़ांस्कर
- यह चीन (उत्तर और पूर्व), पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (उत्तर-पश्चिम) और अफगानिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ साझा करता है।
- यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, गुजरात के कच्छ के बाद।
- यह भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रीय वर्गीकरण में सीस्मिक ज़ोन IV में आता है।

Source: TH

व्यक्तित्व अधिकार

संदर्भ

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में बॉलीवुड हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों को अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से बचाने के लिए कई आदेश जारी किए हैं।

क्या हैं व्यक्तित्व अधिकार?

- व्यक्तित्व अधिकार उस अधिकार को दर्शाते हैं जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी पहचान को गोपनीयता या संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत सुरक्षित रख सकता है।
  - ➢ इसमें किसी की मुद्रा, हाव-भाव या उनके व्यक्तित्व का कोई भी पहलू शामिल हो सकता है।
- ये अधिकार सामान्यतः हस्तियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनके नाम, तस्वीरें या यहां तक कि आवाज़ों का विभिन्न कंपनियों द्वारा विज्ञापनों में बिक्री बढ़ाने के लिए आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।
- कई हस्तियां अपने कुछ विशिष्ट पहलुओं को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत भी कराती हैं ताकि वे उन्हें व्यावसायिक रूप से उपयोग कर सकें।
  - ➢ उदाहरण के लिए, उसैन बोल्ट की "बोल्टिंग" या बिजली जैसी मुद्रा एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

इन अधिकारों को देने के कारण

- विचार यह है कि केवल उस विशिष्ट पहचान के स्वामी को ही उससे कोई व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।
- हस्तियों के लिए व्यावसायिक लाभ अर्जित करने में विशिष्टता एक बड़ा कारक है।
- भारत के कानूनों में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन ये गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं।

व्यक्तित्व अधिकारों की वैधता

- जब कोई अनधिकृत तीसरा पक्ष उनके व्यक्तित्व अधिकारों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है, तो सेलिब्रिटी न्यायालय में जाकर निषेधाज्ञा की मांग कर सकते हैं।

- भारत में किसी विधि में व्यक्तित्व अधिकारों या उनकी सुरक्षा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इन्हें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गोपनीयता के अधिकार से जोड़ा जाता है।
- ट्रेडमार्क की सुरक्षा में प्रयुक्त बौद्धिक संपदा अधिकारों की कई अवधारणाएं जैसे "पासिंग ऑफ" और "धोखा" (deception) का उपयोग यह तय करने में किया जा सकता है कि क्या किसी हस्ती को निषेधाज्ञा के माध्यम से सुरक्षा दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत की न्यायपालिका व्यक्तित्व अधिकारों को डिजिटल दुरुपयोग, जिसमें एआई-जनित सामग्री भी शामिल है, से बचाने के लिए तीव्रता से मान्यता दे रही है।
- हालांकि सुरक्षा का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कलात्मक अभिव्यक्ति और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाए रखना होगा, जिससे व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता उजागर होती है।

Source: TH

वैश्विक दक्षिण को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए: विदेश मंत्री

संदर्भ

- न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक दक्षिण एकजुटता को सुदृढ़ करने तथा संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया।

परिचय

- उन्होंने वैश्विक दक्षिण देशों के बीच एक संयुक्त दृष्टिकोण की मांग की, जो निष्पक्ष और पारदर्शी आर्थिक प्रथाओं, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, तथा दक्षिण-दक्षिण व्यापार, निवेश व तकनीकी सहयोग पर आधारित हो।
- भारत को विकसित देशों और वैश्विक दक्षिण के बीच एक सेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (2023) और G20 अध्यक्षता (2023) जैसी पहलों में इसकी नेतृत्व भूमिका को रेखांकित किया गया।

वैश्विक दक्षिण

- "वैश्विक दक्षिण" शब्द को 1969 में अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेसबी ने गढ़ा था।
  - उन्होंने इस शब्द का उपयोग उन देशों के लिए किया जो विकसित देशों द्वारा राजनीतिक और आर्थिक शोषण का सामना कर रहे थे।
- सरल शब्दों में, वैश्विक दक्षिण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के देशों को संदर्भित करता है।
  - इनमें से अधिकांश देशों ने औपनिवेशिक शासन का अनुभव किया और ऐतिहासिक रूप से औद्योगीकरण के पर्याप्त स्तर प्राप्त करने में पिछड़ गए।

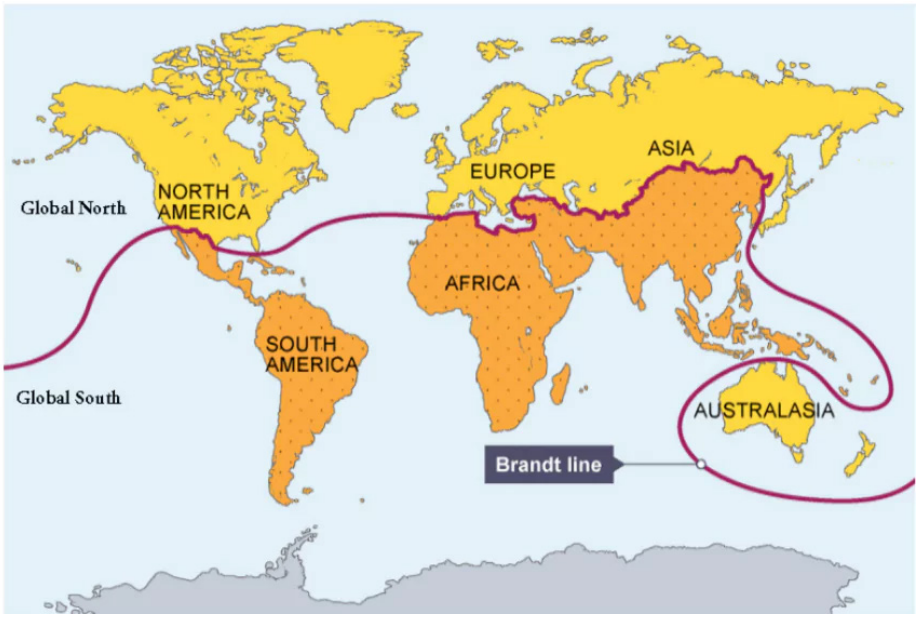

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार, वैश्विक दक्षिण के देशों में सामान्यतः निम्न विकास स्तर, उच्च आय असमानता, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्थाएं, निम्न जीवन गुणवत्ता, कम जीवन प्रत्याशा और बाहरी निर्भरता देखी जाती है।

वैश्विक दक्षिण द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ

- **आर्थिक**: विश्व बैंक के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, उप-सहारा अफ्रीका में प्रति व्यक्ति औसत GDP लगभग $1,623 था, जबकि उत्तर अमेरिका में यह $79,640 था।
  - यह भारी अंतर वैश्विक दक्षिण की आर्थिक चुनौतियों को प्रदर्शित करता है।
- **कृषि पर निर्भरता**: इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं प्रायः कृषि और कच्चे माल के निर्यात पर अत्यधिक निर्भर होती हैं, जिससे वे वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
- **बुनियादी ढांचे की चुनौतियाँ**: जैसे कि कमजोर आधारभूत संरचना, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और सीमित शैक्षिक अवसर, आर्थिक असमानताओं को बढ़ाते हैं।
- **औपनिवेशिक विरासत**: सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, प्रणालीगत भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के रूप में आज भी उपस्थित हैं।
- **राजनीतिक चुनौतियाँ**: कई वैश्विक दक्षिण देश शासन, भ्रष्टाचार और आंतरिक संघर्षों से जूझते हैं, जहां अधिनायकवादी शासन उनके विकास पथ एवं अंतरराष्ट्रीय स्थिति को जटिल बनाते हैं।

वैश्विक व्यवस्था में वैश्विक दक्षिण का महत्व

- **जनसांख्यिकीय महत्व**: वैश्विक दक्षिण में विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, जहां कई देशों को जनसांख्यिकीय लाभ मिल रहा है — युवा और बढ़ती जनसंख्या जो नवाचार, श्रम बल विस्तार एवं उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देती है।
- **आर्थिक केंद्र**: वैश्विक दक्षिण लगभग 40% वैश्विक व्यापार, विश्व के आधे विनिर्माण उत्पादन और उच्च तकनीक उत्पादों का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करता है।
  - इन देशों में तेजी से शहरीकरण और बढ़ता मध्यम वर्ग वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए बाजार बना रहा है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनका प्रभाव मजबूत हो रहा है।
- **विश्व व्यवस्था में बहुध्रुवीयता का निर्माण**: उत्तर-दक्षिण विभाजन का प्रतिकार करता है और एकध्रुवीय प्रभुत्व को चुनौती देता है।
  - ये देश अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता और अन्य शक्ति प्रतिस्पर्धाओं में संतुलनकारी भूमिका निभाते हैं।

भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज़ क्यों बनकर उभरा है?

- **ऐतिहासिक भूमिका**: भारत ने लंबे समय से विकासशील देशों की आवाज़ उठाई है — गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM), बांडुंग सम्मेलन (1955), और G77 के माध्यम से शीत युद्ध के दौरान वैश्विक दक्षिण के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व किया।
  - "वसुधैव कुटुंबकम" की सभ्यतागत भावना वैश्विक दक्षिण की एकजुटता के साथ सामंजस्यशील है।
- **आर्थिक वृद्धि और विकास अनुभव**: भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और सबसे तीव्रता से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो अन्य वैश्विक दक्षिण देशों को प्रेरित करती है।
  - भारत की सहायता-प्राप्त देश से सहायता-दाता और विकास भागीदार बनने की यात्रा इसे अन्य देशों के लिए प्रासंगिक बनाती है।
- **जलवायु और वैश्विक न्याय का समर्थन**: भारत जलवायु न्याय और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR) का मुखर समर्थक रहा है।
  - यह नवीकरणीय ऊर्जा, हरित विकास, पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE) में अग्रणी है, जो वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं से सामंजस्यशील है।
- **राजनयिक और बहुपक्षीय भूमिका**: भारत ने G20 अध्यक्षता (2023) के दौरान वैश्विक दक्षिण को केंद्र में रखा और वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। भारत ने अफ्रीकी संघ को स्थायी G20 सदस्य के रूप में शामिल करने का समर्थन किया।

- **रणनीतिक स्वायत्तता और विश्वसनीय आवाज़**: भारत स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है जो किसी भी गुट से संबद्ध नहीं है और पश्चिम व वैश्विक दक्षिण दोनों द्वारा विश्वसनीय माना जाता है।
  - वैश्विक उत्तर में सुदृढ़ भारतीय प्रवासी की उपस्थिति वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को वैश्विक मंच पर उठाने में सहायता करती है।

भारत द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ

- **घरेलू विकास अंतराल**: चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करता है।
- **संसाधन और वित्तीय सीमाएं**: भारत के पास चीन की तुलना में बड़े पैमाने पर सहायता, रियायती वित्त या बुनियादी ढांचा निवेश प्रदान करने की सीमित क्षमता है।
  - दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए निरंतर वित्तीय समर्थन की आवश्यकता होती है, जो भारत के बजट पर दबाव डालता है।
- **भू-राजनीतिक दबाव**: भारत को अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होता है, जबकि वह वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है।
  - पश्चिमी गुट IMF, UNSC, WTO में सुधारों का विरोध कर सकता है, जहां भारत वैश्विक दक्षिण की मांगों का समर्थन करता है।
  - अमेरिका–चीन, रूस–पश्चिम की रणनीतिक प्रतिद्वंद्विताएं वैश्विक दक्षिण को विभिन्न दिशाओं में विभाजित करती हैं, जिससे भारत का प्रभाव कम होता है।
- **चीन से प्रतिस्पर्धा**: चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) और बड़े वित्तीय निवेश उसे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में अधिक प्रभावशाली बनाते हैं।
  - कई वैश्विक दक्षिण देश चीन को उसके वित्तीय प्रभाव के कारण अधिक तात्कालिक विकास भागीदार मानते हैं।
- **सुरक्षा और स्थिरता संबंधी चिंताएं**: पाकिस्तान और चीन के साथ क्षेत्रीय तनाव, आतंकवाद और सीमा विवाद भारत के वैश्विक नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करने में बाधा डालते हैं।

भारत की वैश्विक दक्षिण के लिए पहलें

- **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)**: 1961 में स्थापित, शीत युद्ध के दौरान वैश्विक दक्षिण के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - NAM ने उन देशों के लिए मंच प्रदान किया जो अमेरिका या सोवियत संघ के साथ संरेखित नहीं थे, और राष्ट्रीय संप्रभुता, हस्तक्षेप न करने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थन किया।
  - NAM की महत्ता शीत युद्ध के बाद भी बनी रही, क्योंकि इसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर वैश्विक दक्षिण के हितों की रक्षा जारी रखी।
- **वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन**: प्रथम बार आयोजित पहल, जिसमें 125+ देशों ने भाग लिया।
  - भारत ने ऋण, जलवायु, खाद्य, ऊर्जा और डिजिटल विभाजन पर उनकी चिंताओं को प्रस्तुत किया।
- **संयुक्त राष्ट्र सुधारों का समर्थन**: UNSC विस्तार के लिए सुदृढ़ समर्थन, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया का प्रतिनिधित्व शामिल हो।
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) निर्यात:** भारत के UPI, आधार, CoWIN मॉडल को वैश्विक दक्षिण देशों के साथ साझा करना।
- **वैक्सीन मैत्री (2020-21):** भारत ने 100 से अधिक वैश्विक दक्षिण देशों को COVID-19 टीके की आपूर्ति की।
- **ऋण और अनुदान:** अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में अवसंरचना, संपर्क, विद्युत और कृषि परियोजनाओं के लिए 30 बिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता।

निष्कर्ष

- वैश्विक दक्षिण का हालिया पुनरुत्थान, उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य और वैश्विक मामलों में विकासशील देशों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

- भारत का नेतृत्व वैश्विक दक्षिण के हितों का समर्थन और वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्संतुलन का समर्थन करके इस परिवर्तन का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

Source: TH

क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास पर CSIR योजना (CBHRD)

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की "क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (CBHRD)" योजना को मंजूरी दी है।
  - यह योजना पंद्रहवें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के लिए कुल ₹2,277.397 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू की जाएगी।

योजना के बारे में

- **क्रियान्वयन:** CSIR द्वारा संचालित, यह योजना भारत भर के सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, उत्कृष्टता संस्थानों और विश्वविद्यालयों को कवर करेगी।
- **उद्देश्य:** युवा शोधकर्ताओं को विश्वविद्यालयों, उद्योगों, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों में करियर निर्माण के लिए एक संरचित मंच प्रदान करना।
- **मुख्य क्षेत्र:** यह पहल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, और गणितीय विज्ञान (STEMM) में वृद्धि को लक्षित करती है।
- **CBHRD योजना चार उप-योजनाओं को एकीकृत करती है:**
  - **डॉक्टोरल और पोस्टडॉक्टोरल फैलोशिप:** उन्नत अध्ययन कर रहे युवा शोधकर्ताओं को समर्थन।
  - **एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च योजना, एमेरिटस साइंटिस्ट योजना, और भटनागर फैलोशिप कार्यक्रम:** अनुसंधान उत्कृष्टता और मेंटरशिप को प्रोत्साहन।
  - **पुरस्कार योजनाओं के माध्यम से उत्कृष्टता का प्रचार और मान्यता:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान को पहचानना।
  - **यात्रा और संगोष्ठी अनुदान योजनाओं के माध्यम से ज्ञान साझा करना:** वैश्विक अनुसंधान वातावरण और सहयोगी अवसरों के लिए एक्सपोज़र प्रदान करना।

नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें

- **IMPRINT (अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव):** विभिन्न इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
- **विज्ञानधारा योजना:** भारत की STI प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए S&T अवसंरचना को बढ़ाने, शैक्षणिक संस्थानों में सुसज्जित R&D प्रयोगशालाएं विकसित करने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई।
- **अटल नवाचार मिशन (AIM):** नीति आयोग द्वारा 2016 में स्थापित, भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। AIM ने चार कार्यक्रम बनाए हैं:
  - अटल टिंकरिंग लैब्स
  - अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स
  - अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस और अटल ग्रैंड चैलेंजेस
  - मेंटर इंडिया
- **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF):** विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान को जोड़ते हुए एक एकीकृत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास।
- IIT दिल्ली, गुवाहाटी, खड़गपुर, कानपुर, चेन्नई में अनुसंधान पार्क स्थापित किए गए हैं जो उद्यमिता और उद्योग के बीच एक इंटरफेस प्रदान करते हैं ताकि वे IIT के छात्रों एवं संकाय सदस्यों के साथ मिलकर अपने R&D इकाइयाँ स्थापित कर सकें।

भारत की प्रगति

- **वैश्विक स्थिति:**
  - भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133

वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वां स्थान प्राप्त किया, जो 2015 में 81वें स्थान से एक महत्वपूर्ण सुधार है।

- राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (NSF), अमेरिका के आंकड़ों के अनुसार, भारत अब वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशनों के मामले में विश्व के शीर्ष तीन देशों में शामिल है।

- **स्टार्टअप में वृद्धि:**
- भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है, जिसमें 1.92 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, जो 2014 में केवल 500 थे।
- यह वृद्धि सहायक नीतियों और जीवंत नवाचार परिदृश्य के कारण हुई है।

चुनौतियाँ

- **वित्तीय सीमाएं:** सुदृढ़ सरकारी समर्थन के बावजूद, भारत में निजी क्षेत्र का R&D निवेश वैश्विक मानकों की तुलना में सीमित है, जिससे बड़े पैमाने पर नवाचार बाधित होता है।
- **प्रतिभा बनाए रखने की चुनौती:** ब्रेन ड्रेन अभी भी जारी है, क्योंकि कुशल शोधकर्ता बेहतर अवसंरचना, वित्त पोषण और करियर अवसरों के कारण विदेश चले जाते हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप-टेक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे अग्रणी तकनीकी क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को तीव्रता से बढ़ाना होगा ताकि वह अपनी वैश्विक स्थिति बनाए रख सके तथा उसे बेहतर बना सके।

आगे की राह

- भारत द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए किए गए समन्वित प्रयास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व बनने की रणनीतिक दृष्टि को दर्शाते हैं।
- प्रतिभा बनाए रखने, तकनीकी व्यावसायीकरण और वैश्विक साझेदारियों पर निरंतर ध्यान यह सुनिश्चित करेगा कि भारत न केवल राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करे बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे, जिससे सतत विकास एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)

- CSIR एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो विविध विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान ज्ञान आधार के लिए जाना जाता है।
- यह 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- CSIR का एक गतिशील नेटवर्क है जिसमें 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, 39 आउटरीच केंद्र, 1 नवाचार परिसर और तीन इकाइयाँ शामिल हैं, जिनकी भारत भर में उपस्थिति है।
- CSIR प्रयोगशालाएं जीनोम से भूविज्ञान, खाद्य से ईंधन, खनिज से सामग्री तक के विषयों में विशेषज्ञता रखती हैं।

Source: PIB

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एक्स कॉर्प की सेंसरशिप याचिका खारिज

संदर्भ

- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने X कॉर्प द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) और सहयोग पोर्टल के उपयोग के माध्यम से कंटेंट हटाने के आदेशों को चुनौती दी गई थी।

परिचय

- कंपनी ने तर्क दिया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के अंतर्गत प्रयोग की गई शक्तियाँ असंवैधानिक हैं और केवल धारा 69A तथा आईटी (सूचना तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा नियम), 2009 ही कंटेंट हटाने के लिए वैध ढांचा प्रदान करती हैं।
- भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) मध्यस्थों के लिए "सुरक्षित आश्रय" संरक्षण को हटा देती है, जब वे वास्तविक जानकारी या

इसके बारे में सरकारी अधिसूचना प्राप्त करने के बाद भी गैरकानूनी सामग्री को हटाने में विफल रहते हैं।

न्यायालय का निर्णय क्या है?

- न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सूचना और संचार को कभी भी बिना नियंत्रण के नहीं रखा गया है, चाहे माध्यम कोई भी हो।
- इसमें अमेरिकी मुक्त भाषण न्यायशास्त्र को भारतीय संवैधानिक संदर्भ में लागू करने के प्रति आगाह किया गया। निर्णय में दोहराया गया कि अवैध या गैरकानूनी सामग्री को वैध अभिव्यक्ति के समान संरक्षण प्राप्त नहीं होता।

डिजिटल/व्यावसायिक अभिव्यक्ति को विनियमित करने की आवश्यकता

- **संवेदनशील समूहों की रक्षा:** विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों या महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियाँ कलंक को बढ़ावा देती हैं।
  - विनियमों से सार्वजनिक संवाद में समावेशिता और गरिमा सुनिश्चित की जा सकती है।
- **प्रभावशाली व्यक्तियों की जवाबदेही:** प्रभावशाली लोग और हास्य कलाकार मुद्रीकृत प्लेटफॉर्म से कमाते हैं।
  - उनकी अभिव्यक्ति पूरी तरह निजी नहीं होती; यह एक सार्वजनिक सेवा होती है जिसमें व्यावसायिक हित जुड़े होते हैं।
  - दिशा-निर्देशों से उनकी पहुँच और प्रभाव के अनुपात में जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
- **हानि और अव्यवस्था की रोकथाम:** फर्जी समाचार, घृणा भाषण और अपमानजनक मज़ाक हिंसा या सामाजिक अशांति को उत्पन्न कर सकते हैं; उचित सीमाएं बढ़ते तनाव को रोक सकती हैं।
- **वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप:** यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम और ब्रिटेन का ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम पहले से ही हानिकारक ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करते हैं।
  - भारत अनियमित नहीं रह सकता जब अभिव्यक्ति सीधे करोड़ों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करती है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर लगाए जा सकने वाले युक्तिसंगत प्रतिबंधों से संबंधित है।
- राज्य द्वारा जिन परिस्थितियों में अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है:
  - राज्य की सुरक्षा
  - सार्वजनिक व्यवस्था
  - शालीनता या नैतिकता
  - न्यायालय की अवमानना
  - मानहानि
  - अपराध के लिए उकसाना
- **आपत्ति का अधिकार(Right to Take Offense):** संविधान का अनुच्छेद 19(2) अपमानजनक अभिव्यक्ति को एक पृथक श्रेणी के रूप में मान्यता नहीं देता।
  - इसलिए, आपत्ति के अधिकार की अवधारणा संविधान द्वारा स्वीकृत सीमाओं के दायरे से बाहर है।
- संवैधानिक नैतिकता यह एक सूक्ष्म और विकसित होती अवधारणा है, कोई स्वाभाविक भावना नहीं।
  - समय के साथ इसे विकसित और संवर्धित किया जाना चाहिए।

Source: HT

संक्षिप्त समाचार

सुपर टाइफून रागासा

समाचार में

- सुपर टाइफून रागासा ने पूर्वी एशिया में व्यापक विनाश किया है।

परिचय

- सुपर टाइफून एक अत्यंत प्रचंड तूफान होता है, जो श्रेणी 5 के हरिकेन के समकक्ष होता है, जिसकी गति 253 किमी/घंटा (157 मील/घंटा) तक होती है।
- टाइफून, जिनमें सुपर टाइफून भी शामिल हैं, सामान्यतः पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनते हैं, विशेष रूप से चीन, जापान और फिलीपींस के पास।
- सुपर टाइफून जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म कोर वाले निम्न दबाव प्रणाली होते हैं, जिनमें समुद्र की सतह के पास सर्पिल प्रवाह और वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर सर्पिल बहिर्वाह होता है।
- ये सामान्यतः भूमध्य रेखा से 5° से अधिक अक्षांश पर विकसित होते हैं ताकि घूर्णन के लिए आवश्यक कोरिओलिस बल का लाभ मिल सके।

क्षेत्र के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की शब्दावली

- **हरिकेन**: उत्तर अटलांटिक, पूर्वी उत्तर प्रशांत और दक्षिण प्रशांत महासागरों में आता है।
- **साइक्लोन**: हिंद महासागर में पाया जाता है।
- **टाइफून**: पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में विकसित होता है।
- **विली-विली**: दक्षिणी हिंद महासागर के पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए प्रयुक्त शब्द।

Source :IE

FIPIC

समाचार में

- विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की।

FIPIC के बारे में

- FIPIC एक बहुपक्षीय समूह है जिसे भारत ने 2014 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों (PICs) के बीच सहयोग को बढ़ाना है।
- **सम्मिलित देश** : कुक द्वीप, फिजी, किरिबाती, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नाउरू, निउ, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु और वनुआतु।

- FIPIC का उद्देश्य राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करना है।
- FIPIC भारत को दक्षिण-दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने, वैश्विक दक्षिण में अपनी विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों में समर्थन प्राप्त करने का एक मंच भी प्रदान करता है।

Source: AIR

टाइलेनॉल से जुड़े ऑटिज़्म मिथक

संदर्भ

- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि गर्भावस्था के दौरान टायलेनॉल (पैरासिटामोल/एसिटामिनोफेन) का उपयोग ऑटिज़्म का कारण बन सकता है और इसके उपयोग को सीमित करने का सुझाव दिया।

टायलेनॉल क्या है?

- यह एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल का ब्रांड नाम है, जिसका उपयोग दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा के रूप में किया जाता है।

- यह एक ओवर-द-काउंटर दवा है, जिसका उपयोग सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, गठिया और सर्दी-ज़ुकाम व फ्लू के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है।
  - ओवर-द-काउंटर दवाओं का तात्पर्य है ऐसी दवाएं जिन्हें बिना डॉक्टर की पर्ची के सीधे फार्मेसी से खरीदा जा सकता है।

ऑटिज़्म क्या है?

- ऑटिज़्म, या ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD), एक आजीवन तंत्रिका विकास संबंधी स्थिति है जो व्यक्ति के संवाद, सामाजिक संपर्क और व्यवहार को प्रभावित करती है।
- "स्पेक्ट्रम" शब्द इस बात को दर्शाता है कि इसके लक्षणों और उनकी तीव्रता में व्यापक विविधता होती है — प्रत्येक व्यक्ति इसे अलग तरह से अनुभव करता है और उन्हें अलग-अलग स्तर की सहायता की आवश्यकता होती है।
- **मुख्य विशेषताएँ**
  - सामाजिक-संवाद और संपर्क में लगातार कठिनाइयाँ
  - व्यवहार या रुचियों में सीमित और दोहराव वाले पैटर्न कई ऑटिस्टिक व्यक्ति संवेदी जानकारी को अलग तरीके से अनुभव करते हैं, जिससे कुछ ध्वनियाँ, रोशनी या बनावट उन्हें असहज या अत्यधिक लग सकती हैं।

Source: IE

चुनाव आयोग द्वारा मतदाता नामों में सुधार के लिए ई-साइन सुविधा प्रारंभ

समाचार में

- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अपने ECINET पोर्टल और ऐप पर एक नया ई-साइन फीचर लॉन्च किया है, जिससे उपयोगकर्ता आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं।

ECINET पोर्टल के बारे में

- ECINET एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न निर्वाचन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाना है।
- यह सभी चुनाव संबंधी सेवाओं के लिए एक एकल इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, और इसमें वोटर हेल्पलाइन ऐप, cVIGIL, सुविधा 2.0 सहित 40 से अधिक वर्तमान मोबाइल एवं वेब एप्लिकेशन को एकीकृत और समाहित किया गया है।

Source: PIB

के वीज़ा (K Visa)

संदर्भ

- 1 अक्टूबर 2025 से चीन एक नया K वीज़ा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य विश्वभर से युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पेशेवरों को आकर्षित करना है।

K वीज़ा की प्रमुख विशेषताएँ

- **प्रायोजक की आवश्यकता नहीं**: आवेदकों को किसी चीनी नियोक्ता या प्रायोजक की आवश्यकता नहीं होगी।
- **पात्रता मानदंड**: यह उन युवा विदेशी पेशेवरों के लिए खुला है जिनके पास चीन या विदेश के मान्यता प्राप्त संस्थानों से STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) में कम से कम स्नातक की डिग्री हो।
- **समावेशी दायरा**: यह उन लोगों को शामिल करता है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा या अनुसंधान में संलग्न हैं।
- **लचीले प्रवास विकल्प**: प्रवेश, वैधता और प्रवास की अवधि में अधिक सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **विविध गतिविधियों की अनुमति**: वीज़ा धारक शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, उद्यमिता और व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

K वीज़ा का महत्व

- K वीज़ा को चीन द्वारा 2013 में शुरू किए गए उच्च स्तरीय प्रतिभा के लिए R वीज़ा के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है।

- यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका अपने H-1B वीज़ा नियमों को सख्त कर रहा है, और 2026 आवेदन सत्र से नियोक्ताओं के लिए $100,000 तक की भारी फाइलिंग फीस लागू कर रहा है।
- यह चीन की व्यापक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है:
  - स्वयं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित करना।
  - प्रतिभा प्रवाह के संतुलन को बदलना, और अमेरिका जैसे पारंपरिक गंतव्यों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करना।

Source: IE

कैबिनेट द्वारा भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पैकेज को स्वीकृति

समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹69,725 करोड़ के जहाज निर्माण पैकेज को मंजूरी दी है, जो भारत के समुद्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हस्तक्षेप है। इसका उद्देश्य भारत को 2047 तक विश्व के शीर्ष 5 जहाज निर्माण राष्ट्रों में सम्मिलित करना है।

रणनीति के चार स्तंभ

- **घरेलू क्षमता को सुदृढ़ करना**: जहाज निर्माण और मरम्मत क्लस्टरों का आधुनिकीकरण और विस्तार (ग्रीनफील्ड + ब्राउनफील्ड)।
- **दीर्घकालिक वित्तपोषण**: ₹25,000 करोड़ के समुद्री विकास कोष की स्थापना, जिसमें समुद्री निवेश और प्रोत्साहन कोष शामिल होंगे ताकि सुलभ एवं दीर्घकालिक वित्तपोषण सुनिश्चित किया जा सके।
- **शिपयार्ड विकास तीव्रता**: 2036 तक संशोधित जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (₹24,736 करोड़) और पर्यावरण अनुकूल रीसाइक्लिंग के लिए शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट (₹4,001 करोड़)।
- **तकनीकी क्षमताओं और नीतिगत सुधारों को बढ़ाना**: कौशल विकास, जहाज डिज़ाइन अनुसंधान एवं विकास, जोखिम कवरेज और एक नए राष्ट्रीय शिपबिल्डिंग मिशन के अंतर्गत नियामक सुधार।

महत्व

- सरकार को संभावना है कि यह पैकेज:
  - ₹4.5 लाख करोड़ के निवेश को सक्षम करेगा और 2,500 से अधिक नए जहाजों के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा, जिससे वैश्विक शिपिंग में भारत की हिस्सेदारी में मूलभूत परिवर्तन आएगा।
  - निर्माण, मरम्मत, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध क्षेत्रों में 30 लाख रोजगार उत्पन्न करेगा, जिससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  - विदेशी स्वामित्व वाले शिपिंग पर निर्भरता को कम करके और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन देकर राष्ट्रीय, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा।
  - 2047 तक यह पैकेज भारत को वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में वर्तमान में 1% से भी कम हिस्सेदारी से शीर्ष 5 देशों में स्थान दिलाने का लक्ष्य रखता है।

Source: PIB

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस

समाचार में

- NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने कतर नेशनल बैंक के साथ साझेदारी में कतर में QR कोड-आधारित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की स्वीकृति को सक्षम किया है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के बारे में

- यह भारत की रियल-टाइम त्वरित भुगतान प्रणाली है, जिसे 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया था।
- इसके माध्यम से उपयोगकर्ता कई बैंक खातों को एक ही UPI-सक्षम ऐप (जैसे गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, भीम) में लिंक और प्रबंधित कर सकते हैं।

- यह इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य करता है।
- UPI विश्व की सबसे बड़ी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली बन गई है।
- 2024 में, UPI ने प्रति माह 12 अरब से अधिक लेनदेन संसाधित किए, जो भारत में खुदरा डिजिटल भुगतानों का 65% से अधिक हिस्सा है।
- यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर UAE, नेपाल, भूटान, फ्रांस, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरीशस आदि देशों में स्वीकार किया जा रहा है।

Source: TH

वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ

समाचार में

- केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री ने नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का औपचारिक शुभारंभ किया।

क्या आप जानते हैं?

- GST (वस्तु एवं सेवा कर) भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक एकल अप्रत्यक्ष कर है।
- यह उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर जैसे कई करों को प्रतिस्थापित करता है, जिससे एक एकीकृत बाजार की स्थापना होती है।

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)

- यह एक वैधानिक अपीलीय निकाय है जिसे वस्तु एवं सेवा कर कानूनों के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- इसका गठन GST अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और करदाताओं को न्याय के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।
- यह नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और भारत के 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों के माध्यम से कार्य करेगा, जिससे इसकी पहुंच और सुलभता पूरे देश में सुनिश्चित होगी।
- GSTAT की प्रत्येक पीठ में दो न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) होंगे, जिससे केंद्रीय और राज्य प्रशासन दोनों की न्यायिक विशेषज्ञता एवं तकनीकी ज्ञान का संतुलित समावेश सुनिश्चित होगा।

Source :TH

नाइटमेयर बैक्टीरिया

संदर्भ

- अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में दवा-प्रतिरोधी "नाइटमेयर बैक्टीरिया" से संक्रमण की दर 2019 से 2023 के बीच 70% तक बढ़ गई है।

'नाइटमेयर बैक्टीरिया' क्या है?

- नाइटमेयर बैक्टीरिया शब्द मुख्य रूप से उस बैक्टीरिया समूह को संदर्भित करता है जिसे कार्बापेनेम-प्रतिरोधी एंटरोबैक्टीरिएसी (CRE) कहा जाता है।
  - इसमें ईशरीकिया कोलाई और क्लेब्सिएला न्यूमोनिया जैसे रोगजनक शामिल हैं।
- जब सभी अन्य उपचार विकल्प विफल हो जाते हैं, तब ये बैक्टीरिया कार्बापेनेम्स एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, जिन्हें सामान्यतः गंभीर संक्रमणों के लिए आरक्षित रखा जाता है।
  - एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया और फफूंद जैसे रोगाणु उन दवाओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं जो उन्हें मारने के लिए बनाई गई हैं।
- हालिया वृद्धि का प्रमुख कारण अमेरिका में संक्रमण दर में हालिया वृद्धि का मुख्य कारण उन बैक्टीरिया का प्रसार है जिनमें NDM जीन (New Delhi metallo-β-lactamase) उपस्थित है।
- यह जीन उन्हें कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव को निष्क्रिय करके उन्हें निष्प्रभावी करने की क्षमता प्रदान करता है।

Source: IT

कलाईमामणि पुरस्कार

संदर्भ

- तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2021, 2022 और 2023 के लिए कलाईमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है।

परिचय

- कलाईमामणि पुरस्कार तमिलनाडु राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है।
- ये पुरस्कार तमिलनाडु 'इयल इसै नाटक मंचम' (साहित्य, संगीत और रंगमंच) द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो तमिलनाडु सरकार के कला एवं संस्कृति निदेशालय की एक इकाई है।
- कलाईमामणि पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में शामिल हैं: संगीत (गायन), थेवरम प्रस्तुति, मृदंगम वादन, हारमोनियम, नादस्वरम, तविल, धार्मिक प्रवचन, भरतनाट्यम शिक्षण, नाटक कलाकार, लोक गायक, वल्ली ओयिल कुम्मी, छोटे पर्दे के अभिनेता, चित्रकार आदि।
- **पात्रता:** राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शनकारी प्रतिभागी जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों के उत्थान में अमूल्य योगदान दिया है।
- कलाईमामणि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को स्वर्ण पदक और एक शील्ड से सम्मानित किया जाएगा।

Source: IE